| क्रम | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुआ। |
|---|---|---|
| 10/2/20 | वकुलाय उपस्थित।<br>आज श्रीमान् पीठासीन अधिकारी महोदय अन्य राजकीय कार्यों में व्यस्त/भ्रमण/ अवकाश पर है। अतः पेशी इल्तवा होकर पत्रावली दिनांक 22/4/20 को पेश हो।<br>रीडर<br>उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, सोजत | |
| 22/4/20 | वकुलाय उपस्थित।<br>आज श्रीमान् पीठासीन अधिकारी महोदय अन्य राजकीय कार्यों में व्यस्त/भ्रमण/ अवकाश पर है। अतः पेशी इल्तवा होकर पत्रावली दिनांक 16/6/20 को पेश हो।<br>रीडर<br>उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, सोजत | |
| 16/6/20 | वकुलाय उपस्थित।<br>आज श्रीमान् पीठासीन अधिकारी महोदय अन्य राजकीय कार्यों में व्यस्त/भ्रमण/ अवकाश पर है। अतः पेशी इल्तवा होकर पत्रावली दिनांक 12/8/20 को पेश हो।<br>रीडर<br>उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, सोजत | |
| 31/08/20 | न्यायालय हाजा के पत्रांक /रीडर/20/570 दिनांक 04.08.2020 के परिपेक्ष्य में ओयोजित बैठक/विचार अनुसार दिनांक 11.8.2020 को बार ऐसोसियन के द्वारा लिए गये प्रस्ताव की पालना में पत्रावली आज पेश हु हुई।<br>बहस वकुलाय अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सुनी गई एवं समायत की गई।<br>अधिवक्ता प्रार्थी ने राजस्व विविध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध अप्रार्थीगण के इस आश्य का पेश किया कि सरहद मौजा ग्राम सोजत रोड के खसरा नम्बर 468, 555, 431, 433, 443, 466, 467, 423 कुल किता 08 जिसका कुल रकबा 34.8751 हैक्टर किस्म बंजड, चा0प्र0 चा.सो.गे0मु0 बेरा, गे0मु0 सडा व जा0 सो0 आई हुई स्थित है। उक्त विवादित भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 01 की पैतृक व पुश्तैनी कृषि भूमि है। उक्त भूमि प्रार्थी के दादा व अप्रार्थी संख्या 01 के पिता की आई हुई स्थित है। उक्त भूमि के सम्पूर्ण हिस्सा में उम्मेदराम पुत्र चौथाराम का 1/12 हक हिस्सा आता था। जो कि वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 01 के नाम दर्ज है। प्रार्थी के दादा उम्मेदराम पुत्र चौथाराम का स्वर्गवास आज से करीब 20 वर्ष पूर्व हो गया था। उम्मेदराम के देहान्त के पश्चात उनका उतराधिकारी एक मात्र हीराराम जी हुवे व हीराराम जी के उतराधिकारी वारिसासन में तीन पुत्र प्रकाश, भरत एवं शंकर तथा एक पुत्री सेणी देवी हुई। वादस्थ कृषि भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 01 व अन्य वारिस की संयुक्त कब्जा काश्त की पैतृक व पुश्तैनी भूमि है। हिन्दु उतराधिकारी अधिनियम के तहत वादस्त पुश्तैनी कृषि भूमि में प्रार्थी | |

Scanned with CamScanner

दखल

का जन्म होते ही प्रथम श्रेणी का विधिक वारिस होने से हक हिस्सा निहित हो चुका है। प्रार्थी के दादा का स्वर्गवास के पश्चात वादस्थ कृषि भूमि के राजस्व रेकार्ड में जरिये नामान्तरकरण संख्या 564 के अप्रार्थी संख्या 01 हीराराम एवं अणची देवी का नाम दर्ज हुआ। अणचीदेवी के स्वर्गवास के पश्चात नामान्तरकरण संख्या 663 दिनांक 05.12.2002 के जरिये प्रार्थी के पिता हीराराम द्वारा अणचीदेवी के स्थान पर स्वयं का नाम दर्ज करवा दिया अर्थात उम्मेदराम के सम्पूर्ण 1/12 हिस्से में अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा स्वय का नाम विधि विरूद्ध रूप से इन्द्रा करवा दिया। वादस्थ कृषि भूमि स्वअर्जित नही थी, एवं उम्मेदराम का देहान्त निर्वसीयती होने से हिन्दु उतराधिकारी अधिनियम के तहत अप्रार्थी संख्या 01 व अन्य वारिस के खातेदारी अधिकार निहित हो गये थे। वादस्थ भूमि में प्रार्थी का 1/12 का 1/4 अर्थात 1/48 हिस्सा निहित है। प्रार्थी वर्तमान में अपने हिस्से पर काबिज है तथा मेहन्दी व चारा की फसल की बुवाई कर रखी है। अप्रार्थी संख्या 01 प्रार्थी को अपने हक हिस्से की भूमि से वंचित करने की नियत से आगे से आगे विक्रय हस्तान्तरण वसीयत इत्यादि करने पर आमादा है। अप्रार्थी संख्या 01 प्रार्थी के कब्जे काश्त की भूमि में दखन अन्दाजी करते हुये उसे बेदखल करने का प्रयास भी कर रहा है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर विवादित भूमि के मूल वाद में निर्णय तक वादस्थ कृषि भूमि के 1/12 हिस्से का बैचान रहन हस्तान्तरण व वादस्थ कृषि भूमि के प्रत्येक खाते में स्थित 1/48 हक हिस्से के कब्जे काश्त , उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की दखल अन्दाजी करने से जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा अप्रार्थीगण को रोके जाने की ईश्तदुआ की है।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा जबाब प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि प्रार्थी ने मिथ्या आधारो पर उक्त वाद प्रस्तुत किया है।वादस्थ भूमि पर अनन्य रूप से प्रार्थी का कब्जा काश्त है। प्रार्थी का कोई हक हिस्सा नही है। उम्मेदराम जी के निधन के समय मै जीवित था अतः प्रार्थी स्व उम्मेदराम जी का प्रथम श्रेणी का उतराधिकारी नही है। मेरे जीवित रहते मेरे पुत्र शंकर व भरत को कोइ हक अथवा खातेदारी अधिकार प्राप्त नही है। अणची देवी के देहान्त के बाद मुझ अप्रार्थी के नाम राजस्व अभिलेख में अंकन किया गया वह सही है। प्रार्थी का हिन्दु उतराधिका अधिनियम के तहत 1/48 हिस्सा निहित होने का तथ्य मिथ्या है। प्रार्थी का कोई हक हिस्सा कब्जा काश्त नही है मेहन्दी व चारा की फसल भी मेरे द्वारा की गई है। प्रार्थी के पक्ष में कोई प्रथम दृष्टया मामला नही बनता है। प्रार्थी का विवादित भूमि पर कोई कब्जा काश्त नही है इस कारण उसे कोई अपूर्णीय क्षति नही होगी। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज करने की ईश्तदुआ की है।

बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने हस्ब प्रार्थना पत्र मे विवादित भूमि पुश्तैनी होने से व दादा उम्मेदराम के 1/12 हिस्से की भूमि में कुल 04 उतराधिकरी होने से 1/48 हिस्सा हिन्दु उतराधिकारी अधिनियम के तहत प्रार्थी का बनता है। किन्तु अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा अणची देवी के देहान्त के पश्चात विधि विरूद्ध नामान्तरकरण दर्ज करवाकर उनके स्थान पर अपना नाम दर्ज करवा दिया जिससे स्व उम्मेदराम के सम्पूर्ण 1/12 हिस्सा अप्रार्थी संख्या 01 के नाम दर्ज हो गया। वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 1/12 हिस्से को बैचान करने पर आमादा है व प्रार्थी के हक हिस्से में

Scanned with CamScanner

दखल अन्दाजी कर उसे बेदखल करना चाहता है जिसे रोके जाने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने की ईश्तदुआ की है। जबाब बहस में अधिवक्ता अप्रार्थी ने निवेदन किया कि अप्रार्थी वर्तमान में स्वयं खातेदार है व सम्पूर्ण 1/12 हिस्से पर काबिज है। वादस्थ भूमि पर वही काश्त करता है। प्रार्थी स्व. अणची देवी का प्रथम श्रेणी का उतराधिकारी नही होने से राजस्व अभिलेखो में उसके नाम से इन्द्राज कानूनन नही किया गया है। जन्म से कोई हक अधिकार प्राप्त नही होते है । जिससे प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने की ईश्तदुआ की है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र, जबाब प्रार्थना पत्र व दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया, बहस वकुलाय पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः हस्ब प्रार्थना में वादस्थ भूमि पुश्तैनी है जो कि पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेजात यथा जमाबन्दी सवम्वत 2033–52, 2046–49, 2050–53, 2054––57, 2058–61, 2074–77 तथा नामान्तरणकरण संख्या 663की छाया प्रतियों से प्रमाणित होता है। स्व उम्मेदराम के देहान्त के पश्चात अप्रार्थी 01 हीराराम व अणचीदेवी के नाम दर्ज हुई एवं अणची देवी के स्वर्गवास के पश्चात उनका हिस्सा हीराराम के नाम दर्ज किया गया। जिससे पृथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होता है एवं मूल वाद के निस्तारण से पुर्व यदि वादस्थ भूमि का बैचान कर दिया जाता है तो प्रार्थी को अपूर्णीयक्षति होगी। अतः तीना बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होने से उक्त पुश्तैनी पेतृक भूमि में वादस्थ भूमि के 1/12 हिस्से की भूमि का बेचान रहन अन्य हस्तारण करने से अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा रोका जाना उचित समझतेहै।

–::आदेश::–

उक्त विवेचना व विश्लेषण के पर अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का स्वीकार किया जाता है व अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थी इस आश्य की जारी की जाती है कि सरहद मौजा ग्राम सोजत रोड के खसरा नम्बर 468, 555, 431, 433, 443, 466, 467, 423 कुल किता 08 जिसका कुल रकबा 34.8751 हैक्टर किस्म बंजड, चा0प्र0 चा.सो.गे0मु0 बेरा, गे0मु0 सडा व जा0 सो0 की भूमि के 1/12 हिस्से का मूल वाद के निस्तारण तक बेचान रहन व अन्य हस्तातन्तरण करने से रोका जाता है। औदेश की प्रति तहसीलदार सोजत को पालना हेतु तहरीर के साथ भिजवाई जावे। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद पालना मूल वाद के साथ नत्थी है।

(दौलतराम चौधरी)
सहायक कलक्टर, सोजत

निर्णय आज दिनांक 31/08/20 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(दौलतराम चौधरी)
सहायक कलक्टर, सोजत

Scanned with CamScanner